संख्या–2–ई.एम./2009–का–4–2009

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग–4 लखनऊः दिनांकः 26 नवम्बर, 2009

विषयः–सेवा संघों द्वारा किये जाने वाले आन्दोलनों के संबंध में।

महोदय,

कतिपय सेवा संघों (महासंघ/परिसंघ/संघ) द्वारा कार्मिकों की मांगों के संबंध में नियमानुसार कार्य करने (**work to rule**), धरना/प्रदर्शन करने एवं हड़ताल करने की नोटिस दी जा रही हैं। इस संबंध में निम्न नियमों/प्राविधानों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने का मुझे निदेश हुआ हैः–

(1) उत्तर प्रदेश (सेवा संघों को मान्यता) नियमावली, 1979 के नियम–4 (ढ) में यह प्राविधानित है कि सेवा संघ सामान्य और सुचारू रूप से सरकारी कार्य संचालन में बाधा डालने या अवरोध उत्पन्न करने की दृष्टि से अपने सदस्यों को हड़ताल करने, धीरे काम करने अथवा कोई अन्य तरीका अपनाने के लिए न प्रेरित करेगा, न उकसायेगा, न उत्तेजित करेगा तथा न किसी प्रकार की सहायता/सहयोग देगा।

(2) उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली के नियम–5–ए (2) में यह प्राविधानित है कि कोई सरकारी सेवक अपने किसी सेवा संबंधी प्रकरण अथवा किसी अन्य के सेवा संबंधी प्रकरण के संबंध में किसी प्रकार की कोई आन्दोलनात्मक कार्यवाही अथवा हड़ताल नहीं करेगा।

(3) वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–2, भाग–2 से 4 के मूल नियम–11 में यह प्राविधानित है कि सरकारी कर्मचारी का पूर्ण समय सरकार के अधीन है और आवश्यकतानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा वह किसी भी प्रकार की सेवा में लगाया जा सकता है। इसके लिए वह किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक के लिए दावा नहीं कर सकता, चाहे उससे जो सेवा ली जाय, वह ऐसी हो, जिसका पारिश्रमिक साधारणतया प्रदेश के राजस्व से, स्थानीय निधि से या किसी संयुक्त या अन्य ऐसे निकाय की निधि से दिया जाय, जो पूर्ण या मुख्य रूप से शासन के स्वामित्व या नियन्त्रण में हो।

2. अनुरोध है कि उपर्युक्त नियमों/प्राविधानों से अपने नियन्त्रणाधीन समस्त सरकारी सेवकों को अवगत कराते हुए, सेवा संघों आदि के द्वारा नियमानुसार कार्य करने (**work to rule**), धरना/प्रदर्शन एवं हड़ताल करने पर, सहभागिता की स्थिति में, संबंधित सरकारी सेवक के विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के सुसंगत नियमों के अनुसार तत्परता से कठोर कार्यवाही की जाय।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव

संख्या–2–ई.एम./2009(1)–का–4–2009, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(अश्वनी कुमार सिंह)
विशेष सचिव